

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 5255 / एफ-7-36 / 31 / एस-2 / 2019,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 25 / 11 / 2019

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय :- कोरिया जिले के मनटोलिया व्यपवर्तन योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-206 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2019 / 10684, रायपुर, दि. 27.08.2019.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा कोरिया जिले के मनटोलिया व्यपवर्तन योजना की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु लागत राशि रु. 642.00 लाख (रुपये छः करोड़ बयालीस लाख) मात्र की सीमा में कार्य पूर्ण करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से 175 हेक्टेयर खरीफ एवं 150 हेक्टेयर रबी कुल 325 हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् निर्माण कार्य पूर्ण किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित किया जाये।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य की प्रगति तथा गुणवत्ता पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखाशीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल 0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (3828)-लघु सिंचाई योजना #97-निर्माण कार्य, 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.-976 / सी.एन.-31-02391 / बजट-2 / वित्त / चार 2019, दिनांक 22.11.2019 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खैरुल्लाह)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

25/11/19

...2

पृ.क्र. 5256 / एफ-7-36 / 31 / एस-2 / 2019,

अटल नगर, दिनांक 25/11/2019

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
 4. अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
 5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
 8. कलेक्टर, जिला-कोरिया (छ.ग.) ।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर ।
 11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर ।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
 13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मंडल, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा ।
 14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.) ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
15. आदेश फोल्डर ।

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

25/11/19